सं० ओ० वि०/गुड़गांव/187-87/39772.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० विरेन्द्रा ग्राम, गांव सिकन्दरपुर मेहरोली रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री रामनौमी, पुत्र श्री गराज, मार्फत श्री श्रद्धानन्द, महा सचिव, गुड़गांव फैक्ट्री वर्कज यूनियन (एटक आफिस), गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुय हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/112-45, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रामनौमी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह, किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 8 अक्तूबर, 1987

सं० ओ० वि०/रोह/111-87/39911.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक, के श्रमिक श्री महा सिंह ड्राईवर, पुत्र श्री पुरन सिंह, गांव व डा० दुबलधन, जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री महा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/रोह/108-87/39919.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० (1) मैनेजिन्ग डायरेक्टर, दी हरियाणा स्टेट फेडरेशन कन्ज्मर कोपरेटिव होलसेल स्टोर, एस.सी.ओ. 1014-15, सैक्टर 22-बी, चण्डीगढ़, (2) डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कन्फेड, ग्रीन रोड, रोहतक, के श्रमिक श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री रामस्वरूप, गांव बलब, तह० व जि० रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एव पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री ओम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है।

स० ओ०वि०/एफ०डी०/128-87/39927.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० कृष्णा फैब्रीकेशन प्रा० लि०, प्लाट नं० 315, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री विजय बहादुर सिंह, मार्फत भारतीय मजदूर संघ, विश्व कर्मा भवन, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री विजय बहादुर सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर हो कर लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./122-87/39934.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० गजेट एण्ड कन्ट्रोल डिवाईसिज, 4-ए/1, अहुजा मार्किट, नेहरू ग्राउन्ड, एन.आई.टी., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम अयोध्या प्रसाद यादव, मार्फत ए.आई.टी.यू. सी. (एटक), मार्किट नं० 1, एन.आई.टी., फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री राम अयोध्या प्रसाद यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ०डी०/94-87/39941.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० सुप्रीम प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं० 73, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक महा सचिव, फरीदाबाद इम्पलाईज यूनियन (रजि०) (एफिलियेटिड इंटक), 50, नीलम चौक, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या दिनांक 20 मार्च, 1987 से प्रबन्धकारिणी द्वारा संस्था को बन्द करने की कार्यवाही उचित है ? यदि नहीं, तो श्रमिक किस राहत के हकदार हैं ?

सं० ओ०वि० एफ०डी०/गुड़गांव/238-87/39950.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि मैं० हरवन्स डिस्ट्रीब्यूटर प्रा० लि०, गुड़गांव के श्रमिक श्री जोगिन्द्र सिंह, पुत्र सरदार अतर सिंह मार्फत श्री श्रद्धा नन्द, महा सचिव, गुड़गांव फैक्ट्री वर्कर यूनियन (इंटक), गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री जोगिन्द्र सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर लियन खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?